न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
019/2019(रसद) (GCMS 2019/00257)	11.11.2019	07.09.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

प्यारेलाल पिता भेराजी मीणा निवासी उथरदा थाना डूंगला जिला उदयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी शिवनारायण जाट — पैरोकार सरकार
अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जैसा तरल पदार्थ, टैंकर RJ 27 1G 0759 को राजसात करने बाबत

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जैसा तरल पदार्थ, टैंकर RJ 27 1G 0759 को राजसात करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.04.2019 को 09.00 PM पर पुलिस उपअधीक्षक ऋषिकेश मीणा को जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक टेंकर नम्बर RJ 27 1G 0759 में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भरकर उदयपुर से कोटा की तरफ फोर–लेन से जायेगा। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस उपअधीक्षक ऋषिकेश मीणा मय जाब्जे के ओछडी पुलिया के पास सरहद ओछडी में नाकाबंदी कर टैंकर नम्बर RJ 27 1G 0759 को रुकवाया। मौके पर टैंकर के ड्राईवर से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्यारेलाल पिता भेराजी मीणा निवासी उथरदा थाना डूंगला जिला उदयपुर होना बताया। चालक से पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में पूछने पर उसने बताया कि इसमें पेट्रोल डीजल आदि पेट्रोलियम पदार्थ मिक्स है तथा इसके परिवहन संबंधी मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। मौके पर टैंकर का अवलोकन किया गया तो तीन खण्डों में पेट्रोलियम पदार्थ जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है। तीनों खण्डों का माप लेने पर तीनों खण्डों में क्रमशः 5000 लीटर कुल 15000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के तीनों खण्डों से

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

नमूने लिये गये तथा प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्यारेलाल पिता भेराजी मीणा निवासी उथरदा थाना डूंगला जिला उदयपुर का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 एवं करोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि जब्तशुदा 15000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, एवं टेंकर नम्बर **RJ 27 1G 0759** को राजसात करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 24.12.2019 को विपक्षी की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण जाट हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी चौखालाल पिता रूपलाल जाति डांगी निवासी कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर एवं पारस जैन पिता गणेशलाल जैन निवासी कानपुर मादडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की और से भी अधिकार पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 का पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 14.02.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर से जब्तशुदा वाहन के संबंध में कर्मेट्स/टिप्पणी मय अनुसंधान पत्रावली के तलब किये गये। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर द्वारा पत्रांक/नील दिनांक 18.02.2020 से प्रकरण में कर्मेट्स/टिप्पणी मय अनुसंधान पत्रावली के प्रेषित की गई। पुलिस थानाधिकारी से प्राप्त कर्मेट्स/टिप्पणी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। न्यायालय आदेश दिनांक 02.02.2021 को जयपुर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ के फ्लेश पाईंट (प्रज्वलन तापांक) के संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट तलब की गई। इस पर पुलिस थानाधिकारी सदर द्वार पत्रांक/3751 दिनांक 02.08.2021 से **REGIONAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY, UDAIPUR** से रिपोर्ट संख्या **RFSL(UDA)/2532/CAF/44/21 DATE 30.06.2021** प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

दिनांक 24.08.2021 को उभयपक्ष हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम जैसा पदार्थ यहां लाकर अवैध खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि पुलिस थाना सदर ने टेंकर जब्त कर लिया था। उक्त टेंकर में बेश ऑयल भरा हुआ था जो विधिवत बिल व बिल्टी से उदयपुर से गोपालपुरा भवानी मण्डी खाली होने जा रहा था और उक्त टैंकर को स्वयं ड्राईवर के रूप

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

में चला रहा था। उक्त टैंकर में कोई अवैध वस्तु नहीं थी तथा जब्तशुदा बेश ऑयल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता हैं उक्त बेश ऑयल फैक्ट्रीयों में काम लिया जाता है जो आम तौर पर बिक्री के लिए होता है एवं लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। जब्तशुदा वाहन टैंकर का रजिस्टर्ड मालिक चौखालाल पिता रूपलाल डांगी निवासी कानपुर जिला उदयपुर है जिसको सुना जाना आवश्यक है। जब्तशुदा माल बेश ऑयल कुल 18.20 एमटी जो करीब 15000 लीटर हैं का बिल नाकोडा ट्रेडर्स गीतांजली रोड एकलिंगपुरा उदयपुर के नाम से है तथा उक्त माल बेश ऑयल नाकोडा ट्रेडर्स का है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका हैं एवं अप्रार्थीगण उक्त बेश ऑयल के संबंध में आवश्यक दस्तावेज न्यायालय आप में प्रस्तुत किये गये है जिससे उक्त बेश ऑयल प्रार्थी नाकोडा ट्रेडर्स को सिपुर्द कराया जावें एवं जब्तशुदा वाहन टैंकर संख्या RJ 27 1G 0759 को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर उसके वैध स्वामी के पक्ष में रिलीज करने के आदेश प्रदान कराये जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार सरकार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 30.06.2021 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया एवं बताया कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का प्रज्वलन तापांक 35.1^{0} हैं। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अनुसार उक्त पदार्थ Class B का है। जिससे अप्रार्थी का उक्त कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मनन किया। पेट्रोलियम पदार्थ को टैंकर में परिवहन करते पाए गए। विपक्षीगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रखकर भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने एवं अवैध ट्रांसफर करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण, अवैध तरीके से उसका ट्रांसफर करना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 15000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य हैं। एवं प्रकरण में पुलिस थानाधिकारी सदर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2019 दिनांक 06.04.2019 में अनुसंधान पूर्ण हो चार्जशीट संख्या 194/2019 दिनांक 28.12.2019 कता की गई है। एवं प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर RJ 27 1G 0759 एवं उसमें भरे हुये पेट्रोलियम पदार्था की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जब्तशुदा वाहन टैंकर संख्या RJ 27 1G 0759 को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर उसके वैध स्वामी के पक्ष में रिलीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण को आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2019 दिनांक 06.04.2016 अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में दिनांक 05.04.2019 को जब्तशुदा कुल 15000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 27 1G 0759 को रुपये 12 लाख रुपये का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर उसके वैध स्वामी के पक्ष में रिलीज करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 15000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 07.09.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official